

197



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

१२०१२ निगरानी - 655- II/12

को प्रेषित  
शु. डा. 12/12  
केलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रु. २००० का अवकाश, कागज  
आज दि. 21-3-12  
प्रस्तुत  
केलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

203375A

- १- भगवान दीन पुत्र मनीराम,
  - २- भगवानदास पुत्र मनीराम
  - ३- भागीरथ पुत्र अयोध्या,
  - ४- लखनलाल पुत्र भूटा,
  - ५- बाबूलाल,
  - ६- नरेश,
  - ७- माया पत्नी नरेश,
  - ८- रामस्वरूप पुत्र भूटा,
  - ९- माखन पुत्र य अयोध्या,
- समस्त निवासीगण ग्राम पीरा, तहसील-  
लख कुश नगर (लौड़ी) जिला छत्तरपुर-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थीगण

बिरगुध

- १- केशव पुत्र दीनदयाल
- २- बृजकिशोरपुत्र दीनदयाल
- ३- अमृतबाई बेवा दीनदयाल निवासी-ग्राम  
ग्राम पीरा तहसील लखकुश नगर (लौड़ी)  
जिला छत्तरपुर -मध्यप्रदेश ।

--- असल प्रतिप्रार्थीगण

- ४- श्यामले पुत्र अयोध्या,
  - ५- प्रेम नारायण पुत्र मईयालाल,
  - ६- कीरत पुत्र मईयालाल,
  - ७- सोहन पुत्र मईयालाल,
  - ८- सरमन बाई बेवा मईयालाल,
- समस्त निवासीगण ग्राम पीरा-तहसील -लखकुश  
नगर (लौड़ी) जिला छत्तरपुर-मध्य० ।

3

- 2 -

- 2 -

निगरानी बिगध्द आदेश एस०डी०जी० लीडि जिला ह्त्तरपुर दिनांक १४-२-  
वन्तगत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता १९५९, प्र०क्र० १०६।१०-११-  
अपील,सलर्न अपील ११०।१०-११ ।

---



10  
RES. 10

10  
RES. 10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-655-दो/2012

जिला छतरपुर

भगवानदीन विरूद्ध केशव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 106/अपील/2010-11 संलग्न 100/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 14-02-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जेन) सदस्य</p> <p>20/2/2019</p>